

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक २९७/२०१६/११६ जिला बीना

मि.जी.बाराज का विरुद्ध अजीज खातून

1

2

3

15-1-19

1. आवेदक की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार पांडेय अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील नामकोट-बीना के प्रकरण क्रमांक २९७/२०१६/११६-१५ में पारित आदेश दिनांक १०-०२-२०१६ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर बीना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक २८-३-१७ को कलेक्टर बीना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।


सदस्य